संख्या- 67/2019/2122/सत्तर-4-2019-3(4)/2018

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 30 दिसम्बर,2019**

विषय- विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में वॉस रूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- ओयू/1082, दिनांक 13.09.2019 एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज के पत्र संख्या-डिग्री विकास/741/2019-20 दिनांक 25.11.2019 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 18/2018/515/सत्तर-4-2018-3(4)/2018 दिनांक 26.03.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के तीनो परिसरों में वॉस रूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 61,55,000/- (रूपये इकसठ लाख पचपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यों /मदों में किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/ मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमतिता मानी जाएगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 में नहीं रखी जाएगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था का होगा। कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने एवं कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनाये रखने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध निष्पादित कर लिया जायेगा।

4- उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

6- यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आगणन तैयार किया गया है अथवा नही। यह भी देख लिया जाएगा कि कार्यदायी संस्था मित्तव्ययी एवं गुणवत्तापरक कार्य करती है अथवा नही।

7- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागर से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

8- प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

9- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्कतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

10- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

11- प्रायोजना अंतर्गत संपादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) न हो इसको दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

12- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-19-राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार-24- वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम बहादुर सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-67/2019/2122/सत्तर-4-2019-3(4)/2018 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सूचना आडिट), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा , उ0प्र0 प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, प्रयागराज।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज।
6. प्रबन्ध निदेशक, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेस उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. परियोजना प्रबन्धक, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेस ,यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव